

२५-५४८

वकील उमयपत्र उपर प्राप्त् तहत आदेश 6
नियम 17 C.P.C. पर बहस हेतु पत्रावली
दि 22-5-18 को पेश हो।

२२-५४८

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/पार्थी/अपार्थी/उमयपत्र
उपरिष्ठत हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् बीरलाल
अधिकारी द्वारा पेश पर हैं/अन्य
वकील में ब्यास्त है/निरस्त हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-6-18
को पेश हो।

(रीडर)

२२-५४८

पत्रावली पुनः पेशी में ली गई। पत्रावली दि 25-5-18 को
राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुर बजौदा पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

२५-५४८

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुर बजौदा पर पेश
हुई। वादी फूलचंद उपर है। वादी ने राजीनामा इस आशय
का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया विक्रय
पत्र जिसे प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड करवाना करते हैं
कि वादी को पहले कोई जानकारी नहीं थी। आज वही
की जानकारी में उक्त तथ्य आया है इसलिए वादी
उक्त ~~रजिस्टर्ड~~ विक्रयपत्र को निरस्त करने के
लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही करेगा। वादी
को दावा करने की द्यूट दी जाकर उक्त दावे को वापिस
लौटा दिया जावे। इसी आधार पर दावे का निस्तारण
कर दिया जावे।

प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय सशम सिविल न्यायालय
में कार्यवाही की अनुमति के साथ वादी को उक्त दावा
वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पचा डिफ्री जारी
किया जावे। पत्रावली कैसल श्रुमार होकर नम्बर से
कम हो सब बाद तकमील दारिकी दफ्तर हो।

(विक्रम श्रुमार)
सदस्य

लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार श्रुमार)
सदस्य

लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष

लोक अदालत
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी